UPBS120000521996

न्यायालय CIVIL JUDGE (J.D. KLD. at BASTI), Basti

पीठासीन अधिकारी– (DIKSHA AGARWAL), (उ०प्र० न्यायिक सेवा)– UP03335

मूलवाद सं० 883/1996

हरीराम बनाम कर्मराज आदि

12.10.2021

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर उभयपक्ष मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थनापत्र 83 ग 2 एवं 84 ग 2 पर सुना–

वादी द्वारा प्रार्थनापत्र 83 ग 2 प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि पूर्व में वादी द्वारा पैमाइश हेतु प्रार्थनापत्र 38 ग 2 दाखिल किया गया था, जो दिनांक 09.05.2002 को स्वीकृत हुआ था तथा सर्वे कमिश्नर को रिट दिनांक 08.09.2003 को जारी हुई थी। परन्तु किन्हीं कारणों से कमिश्नर महोदय रिपोर्ट न देकर रिट वापस कर दिए थे, जो पत्रावली में संलग्न है। ऐसी स्थिति में मुकदमे में प्रभावकारी डिक्री पारित करने हेतु प्रार्थनापत्र 38 ग 2 के प्रकाश में मौके की सर्वे रिपोर्ट व नक्शा जरिए अदालत अमीन मंगवाया जाना आवश्यक है।

प्रतिवादी द्वारा प्रार्थनापत्र 84 ग 2 दाखिल करते हुए कथन किया गया है कि मुकदमे में अदालत अमीन को वादी के प्रार्थनापत्र पर वाद से सम्बन्धित भूखण्ड का पैमाइशी नक्शा व रिपोर्ट तैयार करके मुकदमे में प्रस्तुत करने के लिए मौके पर जाना है। अतः प्रार्थनापत्र 84 ग 2 पर अंकित तथ्यों के प्रकाश में भी मौके की रिपोर्ट जरिए अदालत अमीन मंगवाया जाना आवश्यक है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि उभयपक्षों द्वारा विवादित भूमि का सर्वे रिपोर्ट एवं मैप जरिए अदालत अमीन बनवाए जाने हेतु प्रार्थनापत्र दाखिल किया गया है। न्यायालय की राय में विवादित भूमि की वस्तुस्थिति स्पष्ट करने तथा वाद के प्रभावी न्याय निर्णयन हेतु मौके की सर्वे रिपोर्ट एवं नक्शा जरिए अदालत अमीन मंगवाया जाना न्यायसंगत होगा। अतः प्रार्थनापत्र 83 ग 2 एवं 84 ग 2 न्यायहित में स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थनापत्र 83 ग 2 एवं 84 ग 2 स्वीकार किया जाता है। वादी आवश्यक पैरवी अंदर सप्ताह करे। बाद पैरवी अदालत अमीन को परवाना जारी हो। अदालत अमीन को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थनापत्र 38 ग 2 एवं 84 ग 2 पर अंकित तथ्यों के प्रकाश में मौके पर नियमानुसार पैमाइश करके सर्वे रिपोर्ट एवं नक्शा नियत तिथि तक दाखिल करना सुनिश्चित करे। पत्रावली वास्ते इन्तजार अमीन रिपोर्ट दिनांक 08.12.2021 को पेश हो।

सिविल जज (जू०डि०)
खलीलाबाद स्थान बस्ती।